

निर्णय बड़जलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा



प्रकरण संख्या : 199/2020

तारीख दायरा 13.10.2020

उनवान

नीरज कुमार उम्र 22 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद
जिला कोटा राजस्थान। -वादी

ब्लाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामचरण जाति धाकड निवासी डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. देवेन्द्र नागर पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड ।
3. पूजा नागर उम्र 24 वर्ष पुत्री राजेन्द्र प्रसाद जाति धाकड
निवासीगण ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। - प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी)


दिनांक :- 18.02.2021

श्री नाथूलाल नागर (वकील प्रतिवादी)

—निर्णय—



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वादक आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी नं० 2 व 3 प्रतिवादी नं० 1 राजेन्द्र प्रसाद जी के पुत्र व पुत्री हैं, तथा आपस में पिता पुत्र का रिश्ता है। वादी के पिता प्रतिवादी नं० 1 राजेन्द्र प्रसाद जी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं० नई 66 पुरानी 68 के खसरा नं० 602 की 2.06 हैक्टर आराजी



दादाजी स्व० रामचरण जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, जो कि वादी व प्रतिवादी नं० 2 व 3 की पुश्तैनी आराजी है। वाद पत्र में वर्णित आराजी जो कि वादीगण की पुश्तैनी आराजी है, जिसमें वादी व प्रतिवादी नं० 2 व 3 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बाइ बर्थराइट हक व हिस्सा निहित है तथा वादी व प्रतिवादी नं० 2 व 3 का प्रत्येक का प्रतिवादी नं० 1 के साथ उसके 1/2 हिस्से में बांट बराबर से अर्थात् 1/4-1/4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी में 1/8-1/8 हिस्सा बनता है।

वादी व प्रतिवादी नं० 2 व 3 उक्त वर्णित पुश्तैनी आराजी में निहित अपने पुश्तैनी हिस्से अनुसार मौके पर आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से की आराजी को शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 के साथ वादी का नाम दर्ज नहीं होने से वादी को अपने पुश्तैनी हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी का विकास कार्य करवाने व कृषि ऋण आदि प्राप्त करने व मुआवजा आदि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है। वादी द्वारा पटवारी हलका महोदय से अपने पुश्तैनी हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार आराजी का बंटवारा करने की कहने पर पटवारी हलका द्वारा अपनी असमर्थता जाहिर की तथा प्रतिवादी नं. 1 से भी तहसील कार्यालय में चलकर पुश्तैनी हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी नं० 1 द्वारा कोई सहयोग नहीं किया और टालमटोल कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वादी के लिए माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी हिस्से की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।


अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी नं० 2 व 3 के हक में व प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :-

माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं. नई 66 पुरानी 68 के खसरा नं० 602 की 2.06 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादी नं० 1 का 1/2 हिस्सा व मालग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं० नई 429 पुरानी 410 के खसरा नं० 1322 की 1.17 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादी नं० 1 का 1/2 हिस्सा पुश्तैनी आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी नं० 2 व 3 को प्रतिवादी नं० 1 के साथ बांट बराबर अर्थात् प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्सा यानी सम्पूर्ण आराजी में 1/8-1/8 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।


दिया गया, प्रतिवादी सं.4 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया। वादी अधिवक्ता द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा वादी के हक में वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, इकबाली जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि—

माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद में खाता सं. नई 66 पुरानी 68 के खसरा नं0 602 की 2.06 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा व मालग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 429 पुरानी 410 के खसरा नं0 1322 की 1.17 हैक्टर आराजी में निहित प्रतिवादी नं0 1 का 1/2 हिस्सा पुश्तैनी आराजी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को प्रतिवादी नं0 1 के साथ बांट बराबर अर्थात् प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्सा यानी सम्पूर्ण आराजी में 1/8-1/8 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।


(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।


(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद जिला कोटा